संख्या-1/वे0आ0-2-861/दस-62(एम)/2008टी0सी0

प्रेषक,

आनन्द मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन ।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।

वित्त (वेतन आयोग) अनु0-2 लखनऊ : दिनांक 16 दिसम्बर, 2013

विषय-वेतन समिति-(2008) की संस्तुतियों पर सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति-(2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यव्स्था का प्राविधान शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-3282/दस-62(एम)/ 2008, दिनांक 23 दिसम्बर 2010 एवं शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-254/ दस-62(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 17 फरवरी, 2011 द्वारा किया गया था।

2- उपर्युक्त शासनादेशों द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कार्मिकों के लिए लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1)- सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत 10, 18 तथा 26 वर्ष

http://shasanadesh.up.nic.in

की सेवा पर वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये जाने की लागू व्यवस्था के स्थान पर क्रमश: 10, 16 तथा 26 वर्ष की सेवा पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ अनुमन्य कराये जायेंगें।

उक्त निर्णय के फलस्वरूप शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 के प्रस्तर-1(2) (I) (ख) एवं प्रस्तर-3 (2) (II) निम्नानुसार संशोधित माने जायेगें:-

(I) प्रथम वित्तीय स्तरोन्न्यन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 06 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन एवं द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा अथवा कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्न्यन देय होगा।

परन्तु यदि सम्बंधित कार्मिक को प्रोन्नति, प्रथम वित्तीय स्तरोन्न्यन के पूर्व अथवा पश्चात प्राप्त होती है तो प्रोन्नति की तिथि से 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर प्रोन्नति के पद के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होगा।

(II) ऐसे कार्मिक, जिन्हे 14 वर्ष की सेवा पर प्रथम प्रोन्नतीय /अगला वेतनमान पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य हो चुका है, उन्हे उपर्युक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से 2 वर्ष की सेवा अथवा दिनॉक 01 दिसम्बर 2008, जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्न्यन के रूप में प्रथम प्रोन्नतीय पद /अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। जिन्हें प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय /अगला वेतनमान 16 वर्ष की सेवा के आधार पर अनुमन्य कराने की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 16 वर्ष की सेवा के आधार पर प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय / अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें दिनॉक 01 दिसम्बर 2008 से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य

http://shasanadesh.up.nic.in

होगा। उक्त तिथि को संबंधित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय /अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

(2) ए0सी0पी0 की व्यवस्था में वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अगले ग्रेड वेतन की अनुमन्यता हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रू0 1900 के उपरान्त उपलब्ध ग्रेड वेतन रू0 2000 को इग्नोर किया जायेगा, फलस्वरूप प्रथम / द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु ग्रेड वेतन रू0 1900 का अगला ग्रेड वेतन रू0 2400 माना जायेगा। उक्त शासनादेश दिनॉक 23 दिसम्बर, 2010 का प्रस्तर-1(3) इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा।

(3) उपर्युक्त शासनादेश दिनॉक 23 दिसम्बर, 2010 एवं तत्क्रम में निर्गत अन्य शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेगें तथा उक्त शासनादेशो की शेष व्यवस्थायें यथावत प्रभावी रहेगी।

भवदीय

(आनन्द मिश्र)
प्रमुख सचिव ।

संख्या-वे0आ0-2-861(1)/दस-62(एम)/2008 तद दिनॉक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -1 एवं 2 तथा (आडिट)-1 एवं 2, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(2) माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव /सचिव ।

(3) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।

(4) उत्तर प्रदेश सचिवालय के अन्तर्गत शिक्षा/ प्राविधिक शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।

(5) उत्तर प्रदेश सचिवालय के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(7) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(8) निदेशक सूचना उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(9) समस्त मण्डलीय संयुक्त/ उप शिक्षा निदेशक / समस्त मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकायें, उत्तर प्रदेश ।

(10) समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(11) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

(12) निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें / अरबी मदरसे, उत्तर प्रदेश ।

(13) समस्त सहायक निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें उत्तर प्रदेश।

(14) उ0 प्र0 के समस्त गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य ।

(15) कुल सचिव किंग जार्ज मेडिकल यूनीवर्सिटी लखनऊ।

(16) प्रधानाचार्य, मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज,इलाहाबाद।

(17) प्रधानाचार्य मदन मोहन मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर ।

(18) कुल सचिव, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीटयूट (डीम्ड विश्वविद्यालय) दयालबाग, आगरा।

(19) रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।

(20)निदेशक,के0एन0 इंस्टीटयूट आफ साईस टेक्नालोजी, सुल्तानपुर ।

(21)निदेशक, इंस्टीटयूट आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नालोजी, लखनऊ ।

(22) निदेशक,एच0बी0टी0आई0, कानपुर ।

(23) प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन सभी सहायता प्राप्त बहु धन्धी संस्थाओं के प्रधानाचार्य।

(24) प्रधानाचार्य, डी0ए0वी0 (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय कानपुर ।

(25) प्रधानाचार्य, किश्चियन (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय लखनऊ।

(26) प्रधानाचार्य, किशोरी रमण (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय मथुरा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(27) प्रधानाचार्य, के0पी0 (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय इलाहाबाद।

(28) प्रधानाचार्य, एल0टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय सकलडीहा, वाराणसी।

(29) व्यवस्थापक,सेवा भारतीय अध्यापन मन्दिर, सेवापुरी, वाराणसी।

(30) संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।

(31) चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,कानपुर।

(32) नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद।

(33) निदेशक एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाईट पर डाले जाने हेतु ।

(34) गार्डबुक।

आज्ञा से

(मनोज कुमार जोशी)

संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in